


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

रघुवीर सिंह बनाम ग्राम पंचायत नटाटा व अन्य

केस संख्या 100/2015 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
05.10.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। विपक्षी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी श्री इन्द्राज सिंह चौधरी तथा रीडर श्रीमती नीलम मीणा का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी इस कथन से सहमत है।</p> <p>उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 08/2014 व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 289/2014 व उनवानी रघुवीर सिंह बनाम ग्राम पंचायत नटाटा व अन्य में पीठासीन अधिकारी श्री इन्द्राज सिंह चौधरी एवं रीडर श्रीमती नीलम मीणा से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी श्री इन्द्राज सिंह चौधरी एवं रीडर श्रीमती नीलम मीणा का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से उनके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">  5/10/21 (अन्तर सिंह नेहरु) जिला कलक्टर जयपुर </p>	